संख्या-455/2020/2292/22-2-2019-17(951)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगतू पुत्र श्री नन्हुआ चमार, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02-07-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगतू पुत्र श्री नन्हुआ चमार, बिलवई, थाना-कोतवाली, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बंदी ने घर गिराने के विवाद में दिनांक 18/19.03.2003 को मध्य रात्रि लगभग 12:00 बजे मथुरा प्रसाद, दिल्ला चमार एवं ईश्वर दयाल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 13.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.05.2019 तक 17 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में हत्या जैसे अपराध किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकने, पुन: अपराध को रोकने के लिए जेल में निरूद्ध रहना उचित होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने घर गिराने के विवाद में दिनांक 18/19.03.2003 को 03 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगतू पुत्र श्री नन्हुआ चमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगतू (बन्दी संख्या-2109/2003) पुत्र श्री नन्हुआ चमार, निवासी जनपद-महोबा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-455/2020/2292(1)/22-2-2019 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-455/2020/2292/22-2-2019-17(951)/2019

दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगतू (बन्दी संख्या-2109/2003) पुत्र श्री नन्हुआ चमार, बिलवई, थाना-कोतवाली, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बंदी ने घर गिराने के विवाद में दिनांक 18/19.03.2003 को मध्य रात्रि लगभग 12:00 बजे मथुरा प्रसाद, दिल्ला चमार एवं ईश्वर दयाल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 13.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.05.2019 तक 17 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में हत्या जैसे अपराध किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकने, पुन: अपराध को रोकने के लिए जेल में निरूद्ध रहना उचित होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने घर गिराने के विवाद में दिनांक 18/19.03.2003 को 03 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध सामाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगतू पुत्र श्री नन्हुआ चमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।